न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-465RAAJodhpur2024-191RTA223 Mohmmad Maksud Vs Ubedula etc

मोहम्मद मकसूद पुत्र अब्दूल रसीद, जाति मुसलमान, निवासी– ग्राम रिण, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. उबेदुला पुत्र शफी मोहम्मद
02. अजीजा खातु पत्नी उबेदुल्ला जातियान मुसलमान, निवासीगण बरकत बस्ती, फलोदी जिला फलोदी।
03. अब्दुल कादर पुत्र अब्दुल रसीद
04. अब्दुल राऊफ खातु पत्नी हबीबबुल्ला
05. कबुल पुत्र अब्दुल रसीद
06. अजीज खातु पत्नी अब्दुल रऊफ जातियान सिन्धी मुसलमान निवासी रिण तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
07. तेजसिंह पुत्र बचनसिह जाति राजपूत, निवासी बडा कोटेचा तहसील तिवरी, जिला जोधपुर।
08. श्रीमान तहसीलदार फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि

———————

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 08

नि र्ण य

दिनांक : 04 मार्च 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 अनवान उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 06 नवंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 143/3 रकबा 6.0703 हैक्टेयर ग्राम मलार तहसील फलोदी के संबंध धारा 53 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्रावली शेष प्रतिवादीगण की तामील व जवाब हेतु लम्बित चल रही थी, जिसमे विधि अनुसार तामील सम्यक रूप से नही करवाई गई तथा लम्बे समय पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनकर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर एकपक्षीय अपीलाधी निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। कानूनन वाद में बिना साक्ष्य के ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। हस्तगत मामले में अपीलांट को विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने से वह विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सका।

विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व सें ही विभाजन का वाद विचाराधीन है, जिसमें पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा ओपल आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर रिमाण्ड की गई थी। ऐसी स्थिति में उन्हीं तथ्यों के आधार पर दुबारा विभाजन का वाद नहीं लाया जा सकता है। इस संबंध में अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 11 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद की कार्यवाही को रोके जाने का निवेदन किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा प्रस्ताव कब्जा अनुसार मंगाये जाने का आदेश पारित किया है, जिस कारण नजरी नक्शे अनुसार वादीगण मौके पर कब्जा प्राप्त करने की नियत से वाद का जल्दबाजी में निस्तारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करवाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विभाजन नियमों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथां अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 अनवान उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो वादग्रस्त आराजी में जरिये खरीद रेकर्डेड सहखातेदार–काश्तकार दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो को पूर्व में वाद विचाराधीन होने की कोई जानकारी नहीं थी। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 143/3 रकबा 6.0703 हैक्टेयर का जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से व कब्जा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार फलोदी को आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व से ही वाद विचाराधीन है, इस संबंध में अपीलांट द्वारा पूर्व वाद की वर्तमान स्थिति के बारे में किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने से अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 अनवान उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-465RAAJodhpur2024-191RTA223 Mohmmad Maksud Vs Ubedula etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
मोहम्मद मकसूद पुत्र अब्दूल रसीद, जाति मुसलमान, निवासी– ग्राम रिण, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।	**ब ना म**	01. उबेदुला पुत्र शफी मोहम्मद 02. अजीजा खातु पत्नी उबेदुल्ला जातियान मुसलमान, निवासीगण बरकत बस्ती, फलोदी जिला फलोदी। 03. अब्दुल कादर पुत्र अब्दुल रसीद 04. अब्दुल राऊफ खातु पत्नी हबीबबुल्ला 05. कबुल पुत्र अब्दुल रसीद 06. अजीज खातु पत्नी अब्दुल रऊफ जातियान सिन्धी मुसलमान निवासी रिण तहसील फलोदी, जिला फलोदी। 07. तेजसिंह पुत्र बचनसिह जाति राजपूत, निवासी बडा कोटेचा तहसील तिवरी, जिला जोधपुर। 08. श्रीमान तहसीलदार फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि

यह अपील बतारीख 04 मार्च 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री रोशनलाल मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2024 अनवान उबेदुल्ला व अन्य बनाम अब्दुल कादर इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23 अक्टूबर 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

वसख्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 04 मार्च 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर